न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला नीमकाथाना (राज.)

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 140 / 2024 GCMS NO. 2024/344 उनवानी राजेन्द्र प्रसाद बनाम राज.सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी जिला नीमकाथाना राज0 अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत नाम दुरूस्ती	
5.11.2024	पत्रावली पेश हुई। आवाज पर अधिवक्ता वादी उपस्थित आये। अधिवक्ता वादी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई।	

वादी ने हस्तगत वाद पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा है बाके ग्राम देवता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या **384** में दर्ज वादी का नाम राजू पुत्र भाना जाति गूर्जर हजफ किया जाकर उसके स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भाना राम जाति गूर्जर घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं तहसीलदार खेतडी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि राजस्व ग्राम देवता पटवार हल्का जसरापुर की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 384 में वादी का नाम राजू पुत्र भाना दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2066–2069 के खाता संख्या 49 में वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र भाना दर्ज रिकार्ड है। वादी के समस्त पहचान दस्तावेजात् में **राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भाना राम** दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार खेतडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादी के अन्य दस्तावेतों में वादी का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भाना राम दर्ज है। मुताबिक पूछ–ताछ के वादी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भाना राम व राजस्व रिकार्ड में दर्ज राजू पुत्र भाना एक ही व्यक्ति है।

तहसीलदार खेतडी ने राजू पुत्र भाना के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भाना राम शुद्ध करने की अभिशंषा की है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व / 2024 / 1085 दिनांक 18.09.2024 में की गई अनुशंषा के आधार पर वादी का हस्तगत वाद पत्र स्वीकार कर हाल राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः वादी का हस्तगत वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम देवता पटवार हल्का जसरापुर की हाल जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या **384** में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि **राजू पुत्र भाना** के स्थान पर **राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भाना राम** शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो, तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। उपरोक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

(बन्शी धर योगी)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi D
Date: 2024.12.09 17:38:59
Reason: SelfAttested